

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 1999 (आषाढ 22, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (7) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की तीसरी रिपोर्ट वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 तथा चौथी रिपोर्ट वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 खंड II, 12 मध्यप्रदेश और आयोग की तीसरी रिपोर्ट एवं चौथी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1967 (क्रमांक 20 सन् 1967) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1996-97 (अनुभाग-1) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल गौर, लीलाराम भोजवानी, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रवेश के अनेक जिलों में नक्सलवादियों द्वारा हिंसक कारवाये किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नारायण प्रसाद अदेल, बृजमोहन अग्रवाल, छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले से पलायन कर कश्मीर गये श्रमिकों को बंधक बनाये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-29, गुना के सदस्य श्री शिवप्रताप सिंह को जुलाई, 1999 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

निर्धारित समय

5. वर्ष 1999-2000 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 44, 45, 51, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 75, 79, 82, 84 एवं 90 के लिये राज्य की संघित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ अष्टात्तीस करोड़, सतहत्तर लाख, तैलीस हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

30 मि.

6. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 1999 (क्रमांक 29 सन् 1999) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घंटे

(2) श्री महेन्द्र सिंह, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 27 सन् 1999) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

3 घंटे

(3) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 1999 (क्रमांक 28 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

श्रीमंत :
दिनांक : 12 जुलाई, 1999

के.पी. शिवारी
अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.